झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001702)
पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एच॰ ई॰ सी॰, धुर्वा, राँची – 834004
(E-mail: jtsec1jseb@gmail.com)

संकल्प संख्या :......652....../निगम मुख्यालय, राँची दिनांक ....25/03/2025....
संचिका संख्या–AllegCell/JBVNL/JSR-12102/2018

चूँकि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर के अधीन डेडीकेटेड फीडर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे HTSS उपभोक्ताओं के रीले सेटिंग में लगातार परिवर्तन कर HTSS उपभोक्ताओं को अवैध लाभ पहुँचाने के मामले में SIT के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऊर्जा विभाग के निदेश पर निगम के संकल्प संख्या–2273, दिनांक–01.10.2018 द्वारा **श्री पंकज कुमार गौतम,** तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गढ़वा–II के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

और चूँकि वर्णित मामले में श्री गौतम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी द्वारा गै०स०प्रे०सं०–348, दिनांक–08.07.2019 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि *"रीले सेटिंग कुछ तिथियों पर अधिकृत रूप से पंजीकृत करते हुए किया गया है, परन्तु ऐसे भी रीले सेटिंग को नकारा नही जा सकता, जो अनाधिकृत रूप से की गई हो एवं पंजीकृत नहीं की गई हो। श्री गौतम का पदस्थापन लगभग 19 माह विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर के अंतर्गत रहा है। राजस्व के दृष्टिकोण से आदित्यपुर प्रमण्डल पूरे निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रमण्डल है। स्वभाविक है कि यह राजस्व HT उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। उस प्रमण्डल के विद्युत कार्यपालक अभियंता का दूसरे पदाधिकारी/ निगम मुख्यालय पर अपने उत्तरदायित्व को थोपना किसी भी प्रकार से उचित नही कहा जा सकता है। विद्युत कार्यपालक अभियंता का यह दायित्व था कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत मेसर्स नानक इस्पात, मेसर्स नरेडी इंटरनेशनल, मेसर्स कामसा स्टील एवं मेसर्स पूर्वी आयरन जैसे HTSS उपभोक्ताओं के लोड/Consumed unit/उपभोक्ताओं के मीटर में अंकित Maximum demand का लगातार रूप से तकनीकी परीक्षण करते, जिसमें लापरवाही बरती गई है। श्री गौतम ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है।"*

और चूँकि प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गई एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर के रूप में इनका पदस्थापन अवधि 08.07.2015 से 07.02.2017 तक रहा है। SIT की जाँच अवधि का लगभग 19 महीने इनसे संबंधित है। अतः जाँच पदाधिकारी के मत से सहमत होते हुए निगम के संकल्प संख्या–1418, दिनांक–18.08.2022 द्वारा श्री गौतम को भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी एवं दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक के प्रस्तावित दण्ड के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

और चूँकि द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री गौतम द्वारा जवाब समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित जवाब एवं संलग्न तथ्यों/ अभिलेखों की सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि यद्यपि Job manual के तहत HTSS उपभोक्ताओं के मामले में श्री गौतम Energy accounting, Billing and Load verification के लिए पूर्णतः अधिकृत नहीं थे, तथापि उनके द्वारा उनको आवंटित कार्यों एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए HTSS उपभोक्ताओं के परिसर का औचक निरीक्षण किया गया एवं Check meter भी अधिष्ठापित किया गया। साथ ही उनके द्वारा APT टीम के साथ HTSS उपभोक्ताओं के परिसर की जाँच में अपेक्षित सहयोग भी किया गया, जिसके पक्ष में श्री गौतम द्वारा अभिलेखीय प्रमाण भी समर्पित किया गया है।

और चूँकि द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री गौतम द्वारा समर्पित जवाब के पक्ष में संलग्न अभिलेखों से परिलक्षित होता है कि श्री गौतम द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति अपेक्षित कार्रवाई करते हुए, विद्युत ऊर्जा चोरी रोकथाम हेतु निरोधात्मक कार्रवाई की गई एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का

अनुपालन किया जाता रहा। अतएव श्री गौतम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब से सहमत होते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड हेतु लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए उन्हें द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तावित दण्ड एवं प्रतिवेदित आरोपों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार श्री पंकज कुमार गौतम, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गढ़वा–II को निगम के संकल्प संख्या–2273, दिनांक–01.10.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक हस्ताक्षरित निबंधित प्रति श्री पंकज कुमार गौतम, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गढ़वा–II को प्रेषित किया जाए।**

झा०बि०वि०नि०लि० के आदेश से,

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 653 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः– श्री पंकज कुमार गौतम, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गढ़वा–II को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 653 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–सभी कार्यकारी निदेशक/ सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ महाप्रबंधक(आई०टी०)/ आवासीय अभियन्ता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव/ सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ महाप्रबंधक (असै०)/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ उप महाप्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी वरीय प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ वरीय प्रबंधक, प्रशाखा–I/ वरीय प्रबंधक, ERP, CTM (HR Module), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 653 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–वरीय प्रबंधक (तक०), अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा0ऊ0वि0नि0लि0, राँची/ उप महाप्रबंधक, प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ प्रबंध निदेशक, झा0ऊ0सं0नि0लि0/ झा0ऊ0उ0नि0लि0 के तकनीकी सचिव/ अपर पुलिस महानिदेशक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक, झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची/ निदेशक (वाणिज्य)/ निदेशक (वितरण एवं परियोजना)/ निदेशक (वित्त), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ निदेशक (मा०सं०)/ महाप्रबंधक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन), झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची के निजी सहायक/ महाप्रबंधक (मा०सं०), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

और चूँकि द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा समर्पित जवाब के पक्ष में संलग्न अभिलेखों से परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति अपेक्षित कार्रवाई करते हुए, विद्युत ऊर्जा चोरी रोकथाम हेतु निरोधात्मक कार्रवाई की गई एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन भी किया जाता रहा। अतएव श्री सिन्हा द्वारा विद्युत ऊर्जा चोरी के विरूद्ध किए गए निरोधात्मक प्रयास एवं राजस्व संग्रहण हेतु उठाये गए कदम के आलोक में उनके द्वारा समर्पित जवाब को संतोषप्रद मानते हुए, उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड को क्षांत कर भविष्य में सचेष्टता के साथ कार्य करने की चेतावनी दिए जाने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार निगम के संकल्प संख्या–2267, दिनांक–01.10.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री नीतिश कुमार सिन्हा, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, घाटशिला सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, MRT प्रमण्डल, साहेबगंज को भविष्य में सचेष्टता के साथ कार्य करने की चेतावनी दी जाती है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक हस्ताक्षरित निबंधित प्रति नीतिश कुमार सिन्हा, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, घाटशिला सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, MRT प्रमण्डल, साहेबगंज को प्रेषित किया जाए।**

झा०बि०वि०नि०लि० के आदेश से,

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 649 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः– श्री नीतिश कुमार सिन्हा, विद्युत कार्यपालक अभियंता, MRT प्रमण्डल, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 649 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–सभी कार्यकारी निदेशक/ सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ महाप्रबंधक(आई०टी०)/ आवासीय अभियन्ता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव/ सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ महाप्रबंधक (असै०)/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ उप महाप्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी वरीय प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ वरीय प्रबंधक, प्रशाखा–I/ वरीय प्रबंधक, ERP, CTM (HR Module), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 649 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–वरीय प्रबंधक (तक०), अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा0ऊ0वि0नि0लि0, राँची/ उप महाप्रबंधक, प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ प्रबंध निदेशक, झा0ऊ0सं0नि0लि0/ झा0ऊ0उ0नि0लि0 के तकनीकी सचिव/ अपर पुलिस महानिदेशक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक, झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची/ निदेशक (वाणिज्य)/ निदेशक (वितरण एवं परियोजना)/ निदेशक (वित्त), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ निदेशक (मा०सं०)/ महाप्रबंधक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन), झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची के निजी सहायक/ महाप्रबंधक (मा०सं०), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

AE(UT) Sermonded
07/04/25

DGM(IT)

07/04/2025

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001702)
पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एच॰ ई॰ सी॰, धुर्वा, राँची – 834004
(E-mail: jtsec1jseb@gmail.com)

संकल्प संख्या :..........646........../निगम मुख्यालय, राँची दिनांक ....25/03/2025....

संचिका संख्या–AllegCell/JBVNL/JSR-12102/2018

चूँकि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर के अधीन डेडीकेटेड फीडर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे HTSS उपभोक्ताओं के रीले सेटिंग में लगातार परिवर्तन कर HTSS उपभोक्ताओं को अवैध लाभ पहुँचाने के मामले में SIT के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऊर्जा विभाग के निदेश पर निगम के संकल्प संख्या–2275, दिनांक–01.10.2018 द्वारा **श्री पंकज तिवारी**, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर सम्प्रति वरीय प्रबंधक (तक०) LT-2, निगम मुख्यालय, राँची के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

और चूँकि वर्णित मामले में श्री तिवारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी द्वारा गै०स०प्रे०सं०–327, दिनांक–24.06.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि *"विद्युत अधीक्षण अभियंता के अधीनस्थ पदाधिकारी के रूप में क्षेत्र में हो रही अनियमितता से अंजान बनने एवं वरीय पदाधिकारी को आगाह करते हुए सार्थक निरोधात्मक प्रयास किया गया हो, यह आरोपी द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका।"*

और चूँकि, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियंता, आदित्यपुर के रूप में इनका पदस्थापन अवधि दिनांक–07.02.2017 से 20.09.2017 तक लगभग 08 माह का रहा है, परंतु इस कार्यकाल में भी विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल आदित्यपुर के विद्युत कार्यपालक अभियंता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रमण्डल के HTSS उपभोक्ताओं पर निगरानी रखते हुए ऊर्जा चोरी को रोकते हुए अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करे। श्री तिवारी इस अपेक्षा के अनुरूप खरे नहीं उतरे। स्पष्ट है कि इनके द्वारा मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया है। अतएव जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री तिवारी को निगम के संकल्प संख्या–1416, दिनांक–18.08.2022 द्वारा भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी एवं एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक के प्रस्तावित दण्ड के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

और चूँकि द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री तिवारी द्वारा जवाब समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित जवाब एवं संलग्न तथ्यों/अभिलेखों की सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि यद्यपि श्री तिवारी का कार्यकाल मात्र 08 माह रहा है तथापि उनके द्वारा उनको आवंटित कार्यो एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाता रहा। साथ ही उनके द्वारा HTSS उपभोक्ताओं के परिसर में Check meter तथा Metering arrangement अधिष्ठापित करने में अपेक्षित सहयोग किया गया एवं ऊर्जा चोरी के रोकथाम हेतु औचक निरीक्षण करते हुए आवश्यक प्राथमिकी भी दर्ज की गई, जिसके पक्ष में श्री तिवारी द्वारा अभिलेखीय प्रमाण भी समर्पित किया गया है।

और चूँकि द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री तिवारी द्वारा समर्पित जवाब के पक्ष में संलग्न अभिलेखों से परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति अपेक्षित कार्रवाई करते हुए, विद्युत ऊर्जा चोरी रोकथाम हेतु निरोधात्मक कार्रवाई की गई एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन भी किया जाता रहा। अतएव श्री तिवारी द्वारा विद्युत चोरी रोकथाम हेतु किए गए निरोधात्मक प्रयास एवं राजस्व संग्रहण के लिए की गई कार्रवाई के आलोक में उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड को क्षांत कर, भविष्य में सचेष्टता के साथ कार्य करने की चेतावनी संसूचित किए जाने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार निगम के संकल्प संख्या–2275, दिनांक–01.10.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री पंकज तिवारी, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर सम्प्रति वरीय प्रबंधक (तक०) LT-2, निगम मुख्यालय, राँची को भविष्य में सचेष्टता के साथ कार्य करने की चेतावनी दी जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक हस्ताक्षरित निबंधित प्रति श्री पंकज तिवारी, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर सम्प्रति वरीय प्रबंधक (तक०) LT-2, निगम मुख्यालय, राँची को प्रेषित किया जाए।

झा०बि०वि०नि०लि० के आदेश से,

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 647 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः– श्री पंकज तिवारी, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर सम्प्रति वरीय प्रबंधक (तक०) LT-2, निगम मुख्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 647 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–सभी कार्यकारी निदेशक/ सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ सभी महाप्रबंधक (तक०)/महाप्रबंधक(आई०टी०), निगम मुख्यालय, राँची/ आवासीय अभियन्ता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव/ सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ महाप्रबंधक (असै०)/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ उप महाप्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी वरीय प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ वरीय प्रबंधक, प्रशाखा–I/ वरीय प्रबंधक, ERP, CTM (HR Module), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 647 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–वरीय प्रबंधक (तक०), अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा0ऊ0वि0नि0लि0, राँची/ उप महाप्रबंधक, प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ प्रबंध निदेशक, झा0ऊ0सं0नि0लि0/ झा0ऊ0उ0नि0लि0 के तकनीकी सचिव/ अपर पुलिस महानिदेशक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक, झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची/ निदेशक (वाणिज्य)/ निदेशक (वितरण एवं परियोजना)/ निदेशक (वित्त), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ निदेशक (मा०सं०)/ महाप्रबंधक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन), झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची के निजी सहायक/ महाप्रबंधक (मा०सं०), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

AE(IT) Services
07/04/25

DGM(IT)
07/04/2025

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001702)
पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एच॰ ई॰ सी॰, धुर्वा, राँची – 834004
(E-mail: jtsec1jseb@gmail.com)

संकल्प संख्या :......654....../निगम मुख्यालय, राँची दिनांक ....25/03/2025....

संचिका संख्या–AllegCell/JBVNL/JSR-12102/2018

चूँकि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर के अधीन डेडीकेटेड फीडर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे HTSS उपभोक्ताओं के रीले सेटिंग में लगातार परिवर्तन कर HTSS उपभोक्ताओं को अवैध लाभ पहुँचाने के मामले में SIT के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऊर्जा विभाग के निदेश पर निगम के संकल्प संख्या–2265, दिनांक–01.10.2018 द्वारा **श्री सरताज कुरैशी**, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, घाटशिला सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, MRT प्रमण्डल, कोडरमा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

और चूँकि वर्णित मामले में श्री कुरैशी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी द्वारा गै०स०प्रे०सं०–486, दिनांक–01.11.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि "*इनके पदस्थापन अवधि में रिले सेटिंग में परिवर्तन नहीं किया गया है। विद्युत अधीक्षण अभियंता के अधीनस्थ पदाधिकारी के रूप में क्षेत्र में हो रही अनियमितता से अंजान बनने एवं वरीय पदाधिकारी को आगाह करते हुए सार्थक निरोधात्मक प्रयास किया गया हो, यह आरोपी द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका। साथ ही तकनीकी रूप से आरोपी के कार्य भूमिका एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण निगम स्तर से करने का मंतव्य दिया गया है।*"

और चूँकि, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियंता, घाटशिला के रूप में इनका पदस्थापन अवधि दिनांक–01.07.2015 से 10.02.2017 तक रहा है। SIT की जाँच अवधि का लगभग 19 महीने इनसे संबंधित है। विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री कुरैशी के द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता हो कि विद्युत कार्यपालक अभियंता के रूप में HT Consumer के मामले में निर्धारित कार्य इनके द्वारा सम्पन्न किया गया हो। इनके द्वारा समर्पित तथ्य कि Feeder Meter Data अंचल कार्यालय को भेजा जाता था, को मान्यता भी दिया जाय और Reading Data को Comparison से इन्हें मुक्त भी किया जाय, तो भी इनकी लंबी कालावधि को देखते हुए आरोप संख्या 03 में उल्लेखित तथ्य HTSS उपभोक्ताओं के Load/ Consumed Unit/ उपभोक्ताओं के मीटर में अंकित Maximum Demand का तकनीकी परीक्षण करने में अनदेखी करने को तर्कहीन साबित नहीं किया जा सकता है। श्री कुरैशी कार्य के प्रति लापरवाह प्रदर्शित होते हैं। अतएव जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुरैशी को निगम के संकल्प संख्या–1424, दिनांक–18.08.2022 द्वारा 03 वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक के प्रस्तावित दण्ड के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

और चूँकि द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री कुरैशी द्वारा जवाब समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित जवाब एवं संलग्न तथ्यों/ अभिलेखों की सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि यद्यपि Job manual के तहत HTSS उपभोक्ताओं के मामले में श्री कुरैशी Energy accounting, Billing and Load verification के लिए पूर्णतः अधिकृत नहीं थे, तथापि उनके द्वारा उनको आवंटित कार्यो एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए नियंत्री पदाधिकारी द्वारा गठित लोकल टीम के साथ उपभोक्ताओं के परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही उनके द्वारा HTSS उपभोक्ताओं के परिसर में Check meter अधिष्ठापित किया गया एवं HTSS परिसर के छापेमारी में भी निगम के APT team को भी अपेक्षित सहयोग किया गया, जिसके पक्ष में श्री कुरैशी द्वारा अभिलेखीय प्रमाण भी समर्पित किया गया है।

क्र

और चूँकि द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री कुरैशी द्वारा समर्पित जवाब के पक्ष में संलग्न अभिलेखों से परिलक्षित होता है कि श्री कुरैशी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति अपेक्षित कार्रवाई करते हुए, विद्युत ऊर्जा चोरी रोकथाम हेतु निरोधात्मक कार्रवाई की गई एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाता रहा। अतएव श्री कुरैशी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब से सहमत होते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड हेतु लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए, द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तावित दण्ड एवं प्रतिवेदित आरोपों से आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार निगम के संकल्प संख्या–2265, दिनांक–01.10.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री सरताज कुरैशी, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, घाटशिला सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, MRT प्रमण्डल, कोडरमा को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक हस्ताक्षरित निबंधित प्रति श्री सरताज कुरैशी, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, घाटशिला सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, MRT प्रमण्डल, कोडरमा को प्रेषित किया जाए।

झा०बि०वि०नि०लि० के आदेश से,

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 655 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः– श्री सरताज कुरैशी, विद्युत कार्यपालक अभियंता, MRT प्रमण्डल, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 655 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–सभी कार्यकारी निदेशक/ सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ महाप्रबंधक(आई०टी०)/ आवासीय अभियन्ता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव/ सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ महाप्रबंधक (असै०)/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ उप महाप्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी वरीय प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ वरीय प्रबंधक, प्रशाखा–I/ वरीय प्रबंधक, ERP, CTM (HR Module), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 655 /निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–वरीय प्रबंधक (तक०), अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा0ऊ0वि0नि0लि0, राँची/ उप महाप्रबंधक, प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ प्रबंध निदेशक, झा0ऊ0सं0नि0लि0/ झा0ऊ0उ0नि0लि0 के तकनीकी सचिव/ अपर पुलिस महानिदेशक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक, झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची/ निदेशक (वाणिज्य)/ निदेशक (वितरण एवं परियोजना)/ निदेशक (वित्त), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ निदेशक (मा०सं०)/ महाप्रबंधक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन), झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची के निजी सहायक/ महाप्रबंधक (मा०सं०), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

AE(IT) Scrutiny
07/04/25

DGM (IT)

07/04/2025

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001702)
पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एच. ई. सी., धुर्वा, राँची – 834004
(E-mail: jtsec1jseb@gmail.com)

संकल्प संख्या :...........650.........../निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

संचिका संख्या–AllegCell/JBVNL/JSR-12102/2018

चूँकि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर के अधीन डेडीकेटेड फीडर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे HTSS उपभोक्ताओं के रीले सेटिंग में लगातार परिवर्तन कर HTSS उपभोक्ताओं को अवैध लाभ पहुँचाने के मामले में SIT के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऊर्जा विभाग के निदेश पर निगम के संकल्प संख्या–2259, दिनांक–01.10.2018 द्वारा **श्री राम व्यास मिश्रा**, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत मुख्य अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

और चूँकि वर्णित मामले में श्री मिश्रा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी द्वारा गै०स०प्रे०सं०–128, दिनांक–30.04.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि *"The action taken by RMR Cell relating to feeder meter reading and HTSS Consumer meter reading differences analysis are not thoroughly analyzed. The commercial (Billing Section) section's role is also not made clear in the entire episode. Thus, the loss in credibility of the witnesses are clearly discernible after the examination and cross examination and final arguments. As regards the burden proof, it clearly lied with the disciplinary authorities alleging the facts against Mr. Ram Vyas Mishra, the then ESE, after going through the closing and final arguments the party the balance of probabilities for each of the essential ingredients of the article of charges framed by disciplinary authorities and denied by charged officer have been assessed thoroughly. It is apparently clear that the alleged facts and events could not be fully established on the balance of probabilities in the cross examination of witnesses besides the material evidences and documents produced in their support"*

और चूँकि, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में Charges Fully Established नहीं होने का उल्लेख किया गया है, परंतु विद्युत अधीक्षण अभियंता के रूप में इनका पदस्थापन अवधि दिनांक–29.10.2015 से 08.02.2017 तक रहा है तथा SIT के प्रतिवेदन के अनुसार विद्युत अधीक्षण अभियंता के स्तर से Feeder Meter Data एवं Consumer Meter Data को Compare करने में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण इन दोनों मीटर के मीटर रिडिंग के विशालकाय अंतर का पता नहीं चल पाया। निगम के Job Manual के अनुसार HT Consumer के मामले में विद्युत अधीक्षण अभियंता एवं उनका कार्यालय मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, क्योंकि HT Ledger का रख रखाव अंचल कार्यालय स्तर पर ही होता है तथा उपभोक्ता को विपत्र भी अंचल कार्यालय से ही निर्गत होती है। इस उत्तरदायित्व के उपरांत भी S.I.T. जाँच अवधि में 15 माह के कार्यकाल में श्री मिश्रा के द्वारा मीटर रीडिंग के डाटा को सही करने का प्रयास किये जाने के पक्ष में कोई साक्ष्य समर्पित नहीं है। स्पष्ट है कि कार्य में इनके स्तर से लापरवाही बरती गई। अतएव इस लापरवाही के लिये श्री मिश्रा को उत्तरदायी मानते हुए उनको निगम के संकल्प संख्या–1430, दिनांक–18.08.2022 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेशन से 05% की अस्थायी कटौती 03 वर्ष तक करने हेतु प्रस्तावित दण्ड के लिये द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

और चूँकि द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री मिश्रा द्वारा जवाब समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित जवाब एवं संलग्न तथ्यों/अभिलेखों की सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि मिश्रा द्वारा समय समय पर Feeder meter reading एवं Consumer meter reading का तुलनात्मक विवरणी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र जमशेदपुर एवं CE(C&R), निगम मुख्यालय, राँची को प्रेषित की जाती रही है। इनके कार्यकाल में HTSS उपभोक्ताओं की जाँच निगम मुख्यालय के APT team द्वारा की गई थी साथ ही इनके द्वारा भी अपने स्तर से लोकल टीम गठित कर औचक निरीक्षण एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गई। श्री मिश्रा द्वारा विद्युत खपत पर पैनी निगाह रखने हेतु Check meter की उपलब्धता हेतु सार्थक प्रयास किया गया और Check meter उपलब्ध होने पर सभी HTS एवं HTSS उपभोक्ता के परिसर में स्थापित कराया गया।

और चूँकि द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री मिश्रा द्वारा समर्पित जवाब के पक्ष में संलग्न अभिलेखों से परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा विद्युत अधीक्षण अभियंता के रूप में अपेक्षित कार्रवाई की गई थी। अतएव श्री मिश्रा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब से सहमत होते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड हेतु लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए उन्हें द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तावित दण्ड एवं प्रतिवेदित आरोपों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार निगम के संख्या–2259, दिनांक–01.10.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री राम व्यास मिश्रा, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत मुख्य अभियंता को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक हस्ताक्षरित निबंधित प्रति श्री राम व्यास मिश्रा, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत मुख्य अभियंता, पत्राचार पता–49/67 शिवपुरी, हिनु, राँची–834002 को प्रेषित किया जाए।

झा०बि०वि०नि०लि० के आदेश से,

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 651/निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः– श्री राम व्यास मिश्रा, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत मुख्य अभियंता, पत्राचार पता– 49/67 शिवपुरी, हिनु, राँची–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 651/निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–सभी कार्यकारी निदेशक/ सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्या अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ महाप्रबंधक(आई०टी०)/महाप्रबंधक (तक०), निगम मुख्यालय, राँची/ आवासीय अभियन्ता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव/ सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ महाप्रबंधक (असै०)/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ उप महाप्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी वरीय प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ वरीय प्रबंधक, प्रशाखा–I/ वरीय प्रबंधक, ERP, CTM (HR Module), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 651/निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–वरीय प्रबंधक (तक०), अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा0ऊ0वि0नि0लि0, राँची/ उप महाप्रबंधक, प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ प्रबंध निदेशक, झा0ऊ0सं0नि0लि0/ झा0ऊ0उ0नि0लि0 के तकनीकी सचिव/ अपर पुलिस महानिदेशक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक, झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची/ निदेशक (वाणिज्य)/ निदेशक (वितरण एवं परियोजना)/ निदेशक (वित्त), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ निदेशक (मा०सं०)/ महाप्रबंधक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन), झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची के निजी सहायक/ महाप्रबंधक (मा०सं०), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

AE(IT) forwarded 07/04/25

DGM (IT) 07/04/2025

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001702)
पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एच० ई० सी०, धुर्वा, राँची – 834004
(E-mail: jtsec1jseb@gmail.com)

संकल्प संख्या :....656..../निगम मुख्यालय, राँची दिनांक ....25/03/2025....
संचिका संख्या–AllegCell/JBVNL/JSR-12102/2018

चूँकि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर के अधीन डेडीकेटेड फीडर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे HTSS उपभोक्ताओं के रीले सेटिंग में लगातार परिवर्तन कर HTSS उपभोक्ताओं को अवैध लाभ पहुँचाने के मामले में SIT के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऊर्जा विभाग के निदेश पर निगम के संकल्प संख्या–2257, दिनांक–01.10.2018 द्वारा **श्री राम जनम सिंह**, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

और चूँकि वर्णित मामले में श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी द्वारा गै०स०प्रे०सं०–263, दिनांक–13.10.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि *"The action taken by RMR Cell relating to feeder meter reading and HTSS Consumer meter reading differences analysis are not thoroughly analyzed. The commercial (Billing Section) section's role is also not made clear in the entire episode. Thus, the loss in credibility of the witnesses are clearly discernible after the examination and cross examination and final arguments. As regards the burden proof, it clearly lied with the disciplinary authorities alleging the facts against Mr. Ramjanam Singh, the then ESE, after going through the closing and final arguments the party the balance of probabilities for each of the essential ingredients of the article of charges framed by disciplinary authorities and denied by charged officer have been assessed thoroughly. It is apparently clear that the alleged facts and events could not be fully established on the balance of probabilities in the cross examination of witnesses besides the material evidences and documents produced in their support."*

और चूँकि, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया कि जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में Charges Fully Established नहीं होने का उल्लेख किया गया है, परंतु श्री सिंह का विद्युत अधीक्षण अभियंता के रूप में पदस्थापन अवधि दिनांक–22.10.2013 से 26.10.2015 तक रहा है। SIT के प्रतिवेदन के अनुसार विद्युत अधीक्षण अभियंता के स्तर से Feeder Meter Data एवं Consumer Meter Data को Compare करने में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण इन दोनों मीटर के मीटर रीडिंग के विशालकाय अंतर का पता नहीं चल पाया। निगम के Job Manual के अनुसार भी HT Consumer के मामले में विद्युत अधीक्षण अभियंता एवं उनका कार्यालय मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, क्योंकि HT Ledger का रख रखाव अंचल कार्यालय स्तर पर ही होता है तथा उपभोक्ता का विपत्र भी अंचल कार्यालय से ही निर्गत होती है। इस उत्तरदायित्व के उपरांत भी श्री सिंह के द्वारा मीटर रीडिंग के डाटा को उपेक्षित किया गया। स्पष्ट है कि कार्य में लापरवाही बरती गई। अतएव इस लापरवाही के लिये श्री सिंह को उत्तरदायी मानते हुए उनको निगम के संकल्प संख्या–1432, दिनांक–18.08.2022 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेंशन से 03% की अस्थायी कटौती 03 वर्ष तक करने हेतु प्रस्तावित दण्ड के लिये द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

और चूँकि द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री सिंह द्वारा जवाब समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित जवाब की सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि सिंह द्वारा Feeder meter reading एवं Consumer meter reading के data को Compare करने के पक्ष में कोई भी साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही ऊर्जा चोरी रोकथाम हेतु कोई भी निरोधात्मक सार्थक प्रयास किया गया। श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में ऐसा कोई भी तथ्य/साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जो उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड को प्रभावित कर सके। अतएव श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के समर्पित जवाब से असहमत होते हुए, उनके विरूद्ध निगम के संकल्प संख्या–1432, दिनांक–18.08.2022 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेंशन से 03% की अस्थायी कटौती 03 वर्ष तक करने हेतु प्रस्तावित दण्ड को यथावत सम्पुष्ट करने का निर्णय लिया गया।

P.T.O.

तदनुसार निगम के संख्या–2257, दिनांक–01.10.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री राम जनम सिंह, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत को निगम के संकल्प संख्या–1432, दिनांक–18.08.2022 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत पेंशन से 03% की अस्थायी कटौती 03 वर्ष तक करने हेतु प्रस्तावित दण्ड को यथावत सम्पुष्ट किया जाता है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक हस्ताक्षरित निबंधित प्रति श्री राम जनम सिंह, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार पता–Flat No. 1D, Block-F, Jayshree Green City, Pundag Road, Argora, Ranchi-834002 को प्रेषित किया जाए।**

झा०बि०वि०नि०लि० के आदेश से,

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 657/निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः– श्री राम जनम सिंह, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार पता–Flat No. 1D, Block-F, Jayshree Green City, Pundag Road, Argora, Ranchi-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 657/निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–सभी कार्यकारी निदेशक/सभी महाप्रबंधक (तक०)/महाप्रबंधक(आई०टी०), निगम मुख्यालय, राँची/ सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/आवासीय अभियन्ता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव/ सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ महाप्रबंधक (असै०)/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ उप महाप्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी वरीय प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ वरीय प्रबंधक, प्रशाखा–I/ वरीय प्रबंधक, ERP, CTM (HR Module), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 657/निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–वरीय प्रबंधक (तक०), अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा0ऊ0वि0नि0लि0, राँची/ उप महाप्रबंधक, प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ प्रबंध निदेशक, झा0ऊ0सं0नि0लि0/ झा0ऊ0उ0नि0लि0 के तकनीकी सचिव/ अपर पुलिस महानिदेशक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक, झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची/ निदेशक (वाणिज्य)/ निदेशक (वितरण एवं परियोजना)/ निदेशक (वित्त), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ निदेशक (मा०सं०)/ महाप्रबंधक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन), झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची के निजी सहायक/ महाप्रबंधक (मा०सं०), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड
(CIN: U40108JH2013SGC001702)
पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एच॰ ई॰ सी॰, धुर्वा, राँची – 834004
(E-mail: jtsec1jseb@gmail.com)

संकल्प संख्या :.........658........../निगम मुख्यालय, राँची दिनांक ......25/03/2025......
संचिका संख्या–AllegCell/JBVNL/JSR-12102/2018

चूँकि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर के अधीन डेडीकेटेड फीडर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे HTSS उपभोक्ताओं के रीले सेटिंग में लगातार परिवर्तन कर HTSS उपभोक्ताओं को अवैध लाभ पहुँचाने के मामले में SIT के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऊर्जा विभाग के निदेश पर निगम के संकल्प संख्या–2271, दिनांक–01.10.2018 द्वारा **श्री बी०एन०सिंह "अश्क"**, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

और चूँकि वर्णित मामले में श्री 'अश्क' के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी द्वारा गै०स०प्रे०सं०–30, दिनांक–28.01.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि "*विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में आरोपी श्री 'अश्क' द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को बेबुनियाद, आधारहीन, तथ्यहीन साबित करने के लिये आरोपी द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया तथा अपने बचाव पक्ष में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हुए कार्यवाही निष्पादन विलम्बित किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट/ निष्कर्षित/ स्थापित नहीं हो पाया कि आरोपी के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार एवं तथ्यहीन है।*"

और चूँकि, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री 'अश्क' का विद्युत कार्यपालक अभियंता, आदित्यपुर के रूप में पदस्थापन अवधि दिनांक–24.09.2014 से 10.07.2015 तक रहा है। SIT की जाँच अवधि का लगभग 07 महीने इनसे संबंधित है। इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान अपना लिखित पक्ष समर्पित नहीं किया गया है, जाँच पदाधिकारी के द्वारा इनके मामले में एक पक्षीय निर्णय लिया गया है। ये SIT जाँच की अवधि के पूर्व से हीं विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर कार्यालय में पदस्थापित थे। इनके क्षेत्रान्तर्गत मेसर्स नानक इस्पात, मेसर्स नरेडी इन्टरनेशनल, मेसर्स कामसा स्टील एवं मेसर्स पूर्वी आयरन, HTSS उपभोक्ता थे। SIT प्रतिवेदन में इन चारों प्रतिष्ठानों में ऊर्जा चोरी का आकलन करते हुए हानि के राशि का निर्धारण किया गया है। स्पष्ट है कि श्री 'अश्क' के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गई है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग नहीं प्रदान करना भी अनुशासनहीनता ही मानी जायेगी। अतएव जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री 'अश्क' को निगम के संकल्प संख्या–1420, दिनांक–18.08.2022 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन से 05 प्रतिशत की अस्थायी कटौती 05 वर्षों तक करने हेतु प्रस्तावित दण्ड के लिये द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

और चूँकि द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री 'अश्क' द्वारा जवाब समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित जवाब एवं संलग्न अभिलेखों की सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोप पत्र एवं संलग्न सुसंगत साक्ष्यों की उपलब्धता के बाद भी उनके द्वारा अनावश्यक पत्राचार किया जाता रहा। साथ ही विभागीय कार्यवाही में उनके द्वारा अपेक्षित सहयोग नही प्रदान किया गया तथा अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित ना होकर द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में मात्र अपने उच्च अधिकारियों तथा अन्य पर जिम्मेवारी डालने का प्रयास किया गया है। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री अश्क द्वारा अपने समर्पित जवाब में ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे परिलक्षित होता हो कि इनके द्वारा अनाधिकृत ऊर्जा चोरी रोकने हेतु कोई भी निरोधात्मक प्रयास किया गया हो। अतएव श्री 'अश्क' द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के समर्पित जवाब से असहमत होते हुए, उनके विरूद्ध निगम के संकल्प संख्या–1420, दिनांक–18.08.2022 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेंशन से 05% की अस्थायी कटौती 05 वर्षों तक करने हेतु प्रस्तावित दण्ड को यथावत सम्पुष्ट करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार निगम के संकल्प संख्या–2271, दिनांक–01.10.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री बी०एन०सिंह "अश्क", तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर सम्प्रति सेवानिवृत को निगम के संकल्प संख्या–1420, दिनांक–18.08.2022 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत उनके पेंशन से 05% की अस्थायी कटौती 05 वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक हस्ताक्षरित निबंधित प्रति श्री बी०एन०सिंह "अश्क", तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार पता–2E, Ankita Appartment, Loknath Complex, Station Road, Jugsalai, Tatanagar, East Singhbhum-831002 को प्रेषित किया जाए।

झा०बि०वि०नि०लि० के आदेश से,

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक ......659....../निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः– श्री बी०एन०सिंह "अश्क", तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आदित्यपुर सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार पता–2E, Ankita Appartment, Loknath Complex, Station Road, Jugsalai, Tatanagar, East Singhbhum-831002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक ......659....../निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–सभी कार्यकारी निदेशक/ सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ महाप्रबंधक(आई०टी०)/ आवासीय अभियन्ता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव/ सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ महाप्रबंधक (असै०)/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ उप महाप्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी वरीय प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी प्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ वरीय प्रबंधक, प्रशाखा–I/ वरीय प्रबंधक, ERP, CTM (HR Module), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक ......659....../निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपिः–वरीय प्रबंधक (तक०), अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा0ऊ0वि0नि0लि0, राँची/ उप महाप्रबंधक, प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ, झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ प्रबंध निदेशक, झा0ऊ0सं0नि0लि0/ झा0ऊ0उ0नि0लि0 के तकनीकी सचिव/ अपर पुलिस महानिदेशक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक, झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची/ निदेशक (वाणिज्य)/ निदेशक (वितरण एवं परियोजना)/ निदेशक (वित्त), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची/ निदेशक (मा०सं०)/ महाप्रबंधक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन), झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची के निजी सहायक/ महाप्रबंधक (मा०सं०), झा०बि०वि०नि०लि०, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/25

(अभिषेक कुमार)
उप. महाप्रबंधक (मा०सं०)